रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72

REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 575] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 3, 1985/अग्रहायण 12, 1907
No. 575] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 3, 1985/AGRAHAYANA 12, 1907

इस भाग को भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

संशोधित अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 1985

का. आ. 877 (अ) :– जबकि भारत सरकार और एशिया पैसिफिक टेलीकम्यूनिटी के बीच पत्रों के आदान-प्रदान के अनुसरण में यह आवश्यक है कि एशिया पैसिफिक टेलीकम्यूनिटी, इसके अन्तर्राष्ट्रीय रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों एवं विशेषज्ञों और इसके सदस्यों के प्रतिनिधियों को भारत में वे सभी विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां प्रदान की जाएं जो संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार एवं उन्मुक्तियां) अधिनियम 1947 (1947 का 46) की अनुसूची में दी गई हैं ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, इसके द्वारा यह घोषणा करती है कि उक्त अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित प्रावधान, अनुच्छेद 7 की धारा 24 को छोड़कर, आवश्यक परिवर्तनों और निम्नलिखित संशोधनों सहित, एशिया पैसिफिक टेलीकम्यूनिटी, इसके अन्तर्राष्ट्रीय रूप से भर्ती किए गए कर्मचारियों एवं विशेषज्ञों और इसके सदस्यों के प्रतिनिधियों पर लागू होंगे यथा :–

उक्त अधिनियम की अनुसूची में

1. "संयुक्त राष्ट्र" शब्दों के स्थान पर सभी जगह "एशिया पैसिफिक टेलीकम्यूनिटी" शब्द रखे जाएंगे,

2. धारा 19 में "महासचिव" शब्द के स्थान पर "कार्यकारी विदेशक" शब्द रखा जाएगा ।

[सं. डी II/451/81(16/17)]
प्रेम के. बधवार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

REVISED NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 1985

S.O. 877(E).—Whereas in pursuance of the change of letters between the Government of India and the Asia-Pacific Telecommunity, it is necessary

o accord to the Asia-Pacific Telecommunity, its international recruited officials and experts and representatives of its members, privileges and immunities in India similar to those contained in the Schedule to the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the said Act, the Central Government hereby declares that the provisions set out in the Schedule to the said Act, with the exception of Article VII, Section 24, shall apply, mutatis mutandis, to the Asia-Pacific Telecommunity, its internationally recruited officials and experts and representatives of its members, with the following modifications, namely :—

MODIFICATIONS

In he Schedule to the said Act :—

1. For the words "The United Nations" wherever they occur, the words "Asia-Pacific Telecommunity" shall be substituted;

2. In Section 19, for the word "The Secretary-General" the word "The Executive Director" shall be substituted.

PREM K. BUDHWAR, Chief of Protocol
[No. DII/451/81(16/17)]

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985